न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 140/2022

रंगलाल पुत्र मामचन्द, जाति जाट, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रंगलाल, अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, मु0न0 101/2021, निर्णय दिनांक 04.08.2021

——

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 22.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट को आराजी हाल खसरा नम्बर 405/30 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान सरहद मौजा नूनिया गोठड़ा तहत तहसील चिडावा में से 700 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 04.08.2022 को पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट हैं अपीलान्ट के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे व निर्णय जैर बहस में दर्ज [illegible] पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय रिपोर्ट साबित नही की गई है। आराजी ख[illegible] खसरा नं0 16 है। गत खसरा नं0 16 में से 692 को वर्ग गज भूमि का सनद जरिये मिसल संख्या [illegible]79 दिनांक 14.06.79 को अपीलान्ट के हक मे तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी किया गया। [illegible] 53 रूपये अपीलान्ट ने [illegible] 14.06.79 को राजस्थान सरकार को अदा किये और उक्त भूमि पर उपरोक्तानुसार अपीलान्ट का इ[illegible] कब्जा है। कानून से इजाजतन कब्जे को अतिक्रमण नही कहा जा सकता। अपीलान्ट के हक में जारी सनद 14.06.79 अस्तित्व में है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने उपरोक्त सनद व इजाजतन कब्जे का एक सारवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:26 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु उठाया था। कानून से जब कोई सारवान बिन्दु उठाया जाता है तो उस सूरत में समरी प्रोसेडिंग के मार्फत कार्यवाही नही जा सकती। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करने मे कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से कब्रिस्तान की नही है और न ही कब्रिस्तान के काम में आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिंद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया हैं। दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट द्वारा जवाब इत्यादि प्रस्तुत करने व पट्टा इत्यादि प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को यह कहा कि आपके पास पटटा है ऐसी स्थिति में पट्टे की जांच करवायेंगे और यह कहा कि आवश्यकता पडने पर पुनः सूचित कर बुलायेगें और मनमर्जी से दिनांक 04.08.2021 निर्णय कर दिया। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट के हक में सनद होने के बावजूद अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे व निर्णय जैर बहस में दर्ज नही है। आराजी खसरा नं0 405/30 के गत खसरा नं0 16 है। गत खसरा नं0 16 में से 692 को वर्ग गज भूमि का सनद जरिये मिसल संख्या 49/79 दिनांक 14.06.79 को अपीलान्ट के हक मे तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी किया गया। सनद शुल्क 53 रूपये अपीलान्ट ने दिनांक 14.06.79 को राजस्थान सरकार को अदा किये और उक्त भूमि पर उपरोक्तानुसार अपीलान्ट का इजाजतन कब्जा है। कानून से इजाजतन कब्जे को अतिक्रमण नही कहा जा सकता। अपीलान्ट के हक में जारी सनद 14.06.79 अस्तित्व में है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से कब्रिस्तान की नही है और न ही कब्रिस्तान के काम में आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया हैं। दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट द्वारा जवाब इत्यादि प्रस्तुत करने व पट्टा इत्यादि प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को यह कहा कि आपके पास पटटा है ऐसी स्थिति में पट्टे की जांच करवायेंगे और यह कहा कि आवश्यकता पडने पर पुनः सूचित कर बुलायेगें और मनमर्जी से दिनांक 04.08.2021 निर्णय कर दिया। ग्राम नूनिया गोठडा मे को कोई मुसलमान निवास नही करता फिर वहां कब्रिस्तान होने का सवाल ही नही उठता। जो मुसलमान आजादी से पहले नूनियां गोठडा मे निवासरत थे वो भारत पाक विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गये। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दि[illegible]2021 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:26 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो[illegible] का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि [illegible]म्बर 405/30 कुल रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 700 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म कब्रिस्तान की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्ट को कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

AY 3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 405/30 कुल रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 700 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट को गै0मु0कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। यदि विवादित भूमि के क्रम मे कोई सनद् या पट्टा जारी किया गया है तो भी भूमि प्रबिन्धित होने से उसका कोई औचित्य नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:26 IST
Reason: SelfAttested